रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032023-244737
CG-DL-E-28032023-244737

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2023/चैत्र 7, 1945
No. 200] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2023/CHAITRA 7, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2023

पीएनजीआरबी/कॉम/10-एनजीपीएल टैरिफ (11)/2022 (पी-4142).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 11 के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 में, -

क. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में;

i. खंड (ड.क) के लिए, "प्राकृतिक गैस पाइपलाइन " से शुरू होने वाले शब्द और ".....का हिस्सा है " के साथ समाप्त होने वाले शब्द को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"राष्ट्रीय गैस ग्रिड प्रणाली का हिस्सा बनने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन(नें) बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन या विस्तार करने वाली एक या अधिक अधिकृत कंपनियां, जो एकीकृत संविदात्मक पथ के लिए शिपर(रों) के लिए चालान जारी करती हैं";

ii. खंड ज के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

"(जक) "समाधान तंत्र" का अर्थ अनुसूची घ के रूप में सूचीबद्ध एक तंत्र है जिसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर पाइपलाइन कंपनियों के परामर्श से अनुसूची ग में विस्तृत रूप से तैयार किया जा सकता है।";

iii. खंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ठ) "एकीकृत संविदात्मक पथ" का अर्थ शिपर(रों) के लिए एकीकृत प्रवेश बिंदु और एकीकृत निकास बिंदु के बीच राष्ट्रीय गैस ग्रिड प्रणाली पर मार्ग है; बशर्ते कि क्षमता बुकिंग के समय शिपर(रों) द्वारा एकीकृत संविदात्मक पथ की पुष्टि की जाए और ट्रांसपोर्टर(रों) द्वारा सहमति दी जाए। आगे बशर्ते कि एकीकृत संविदात्मक पथ पर गैस के परिवहन में कई शिपरों के शामिल होने की स्थिति में, ऐसे सभी शिपरों के विवरण की भी क्षमता बुकिंग के समय पुष्टि की जाएगी और ट्रांसपोर्टर(रों) द्वारा उसे स्वीकार किया जाएगा।";

iv. खंड (ड) के लिए, अंत में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"जिसकी क्षमता बुकिंग के समय शिपर द्वारा पुष्टि की जाएगी और ट्रांसपोर्टर द्वारा सहमति दी जाएगी";

v. खंड (ढ) के लिए, अंत में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"जिसकी क्षमता बुकिंग के समय शिपर द्वारा पुष्टि की जाएगी और ट्रांसपोर्टर(रों) द्वारा सहमति दी जाएगी।"

ख. "एकीकृत टैरिफ के निर्धारण की प्रक्रिया और उससे संबंधित मामले" शीर्ष के अंतर्गत विनियम 5क में;-

i. खंड (1) में, अंत में, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्; -

"बशर्ते कि यदि ऐसे एकीकृत संविदात्मक मार्ग में विभिन्न कंपनियों की पाइपलाइनें शामिल हैं, तो ऐसी सभी कंपनियां समाधान तंत्र के अनुसार पूर्व-निर्धारित अनुपात पर लागू एकीकृत क्षेत्रीय टैरिफ के लिए चालान प्रस्तुत करेगी और उनके संबंधित चालानों के अनुसार ऐसी चालान करने वाली कंपनियों को ऐसे एकीकृत क्षेत्रीय टैरिफ का भुगतान करने के लिए शिपर उत्तरदायी होंगे;

बशर्ते आगे कि इस तरह के एकीकृत संविदात्मक पथ के लिए ऐसे एकीकृत टैरिफ का कुल योग, जो ऐसी चालान करने वाली कंपनियों द्वारा ऐसे शिपर(रों) के नाम पर जारी किया जाता है, ऐसे एकीकृत संविदात्मक पथ के लिए लागू एकीकृत क्षेत्रीय टैरिफ के बराबर होगा।

बशर्ते आगे कि लागू एकीकृत क्षेत्रीय टैरिफ को अनुमोदित अनुपात से गुणा करने के बाद दशमलव के दो (02) स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि एकीकृत संविदात्मक पथ के लिए लागू टैरिफ क्षेत्रों के आधार पर शिपर(रों) से शुल्क लिया जाएगा।";

ii. खंड (2) में, "चालान टांसपोर्टर" से शुरू होने वाले शब्द और "..... जहाज या भुगतान मात्रा के लिए:" के साथ समाप्त होने वाले शब्द को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्; -

"एनजीजीएस का हिस्सा बनने वाले संबंधित पाइपलाइन नेटवर्क के निकास बिंदु पर ट्रांसपोर्टर। जहाज या भुगतान की मात्रा ट्रांसपोर्टर(रों) द्वारा किए गए संबंधित गैस ट्रांसमिशन समझौते के अनुसार होगी। जहाज के चालान या भुगतान मात्रा सहित चालान लागू एकीकृत टैरिफ के पूर्व-निर्धारित अनुपात पर संविदात्मक पथ में शामिल प्रत्येक परिवहन कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अनुपात समाधान तंत्र के अनुसार निकाला जाएगा।"

बशर्ते कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड प्रणाली के अलावा अन्य प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कंपनी ऐसी कंपनी को अनुमोदित टैरिफ का भुगतान करना जारी रखेगी।"

iii. खंड (3) में, अंत में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्;-

"बशर्ते एकीकृत टैरिफ विनियमों (कंपनियों के बीच समाधान सहित) के कार्यान्वयन के कारण किसी भी कंपनी पर कोई अतिरिक्त माल और सेवा कर ("जीएसटी") लागू होने की स्थिति में, उसे उस वर्ष के लिए संबंधित कंपनी के राजस्व पात्रता में शामिल किया जाएगा।"

ग. "एकीकृत टैरिफ के निर्धारण की प्रक्रिया" शीर्षक के तहत अनुसूची ख के भाग क में;–

i. खंड (3) में, –

क) "गैस की मात्रा का योग ..." शब्दों के बाद और "..... परिवहन और जहाज या भुगतान की मात्रा", शब्दों के पहले "होने का अनुमान", शब्द जोड़े जाएंगे;

ख) "और जहाज की मात्रा या भुगतान ..." शब्दों के बाद और "..... जिसके लिए पाइपलाइन कंपनी" शब्दों से पहले, "यदि कोई हो", शब्द जोड़े जाएंगे;

ग) अंत में, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

बशर्ते कि कई पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन की जाने वाली अनुमानित गैस की मात्रा पर केवल एक बार विचार किया जाएगा;

बशर्ते आगे कि एकीकृत टैरिफ विनियमों (कंपनियों के बीच समाधान सहित) के कार्यान्वयन के कारण किसी भी कंपनी पर किसी भी अतिरिक्त माल और सेवा कर ("जीएसटी") के मामले में, उसे उस वर्ष के लिए संबंधित कंपनी की राजस्व पात्रता में शामिल किया जाएगा;

ii. खंड (4) में, –

क) उप खंड (ii) में, "और शिप या भुगतान की मात्रा सहित ....." शब्दों के बाद "यदि कोई हो", और ".....निर्धाण की तिथि से पूर्व'' शब्दों के बाद और " बारह महीनों के दौरान'' शब्दों से पहले ''और यथा उपलब्ध कम समय'' जोड़े जाएंगे;

ख) अंत में, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(iii) एकीकृत टैरिफ विनियमों (यूनिटों के बीच समाधान सहित) के कार्यान्वयन के कारण किसी भी कंपनी पर कोई अतिरिक्त माल और सेवा कर ("जीएसटी") लागू होता है, उसे उस वर्ष के लिए संबंधित कंपनी की राजस्व पात्रता में अनुमानित आधार पर शामिल किया जाएगा। बोर्ड द्वारा इस तरह का अनुमान अंतिम होगा और पाइपलाइन कंपनियों और शिपरों सहित सभी पर बाध्यकारी होगा। बोर्ड द्वारा विचार किए गए अनुमानों और वास्तविक के बीच अंतर, यदि कोई हो, का प्रभाव एकीकृत टैरिफ के अगले निर्धारण में बोर्ड द्वारा समायोजित किया जाएगा।"

iii. खंड 5(1) में, –

क) बिंदु (i) में, "बोर्ड को. अनुमोदित" से शुरू होने वाले और "..... और अनुमानों के लिए लिए होगी " के साथ समाप्त होने वाले शब्दों का लोप किया जाता है;

ख) बिंदु (ii) में, "प्रत्येक कैलेण्डर..." से शुरू होने वाले शब्दों और "उपलब्ध कराती रहेंगी से ..." के शब्दों का लोप किया जाता है;

ग) बिंदु (iii) में, " प्रत्येक कैलेंडर " से शुरू होने वाले और ''मात्रा भी शामिल होगी।" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों का लोप किया जाता है;

घ) बिंदु (iv) को, "ऐसी अवधि के लिए अनुमानों और वास्तविकताओं के बीच भिन्नता के कारण प्रदान करें और ऐसे प्रारूप में दें जो बोर्ड द्वारा आवश्यक हों" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

iv. खंड 6 में "नोट्स" के शीर्ष के तहत बिंदु (ii) में "45%" को "52.5%" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

घ. अनुसूची ख के भाग ख में;–

i. बिंदु (1) में, अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"बशर्ते कि एकीकृत टैरिफ विनियमों (कंपनियों के बीच समाधान सहित) के कार्यान्वयन के कारण किसी भी पाइपलाइन कंपनी पर किसी भी अतिरिक्त माल और सेवा कर ("जीएसटी") के मामले में, उसे उस वर्ष के लिए संबंधित कंपनी की राजस्व पात्रता में शामिल किया जाएगा;"

ii. बिंदु (3) में, तालिका में उप बिंदु i) में कोष्ठक के बाद, शब्द " +IT1...ITn" अंत:स्थापित जाएगा;

iii. बिंदु (3) में, उप बिन्दु i) में ".....पाइपलाइन 1 से n अवधि के लिए" शब्दों के बाद निम्नलिखित लाइन अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

$IT_1....IT_n$	=	एकीकृत टैरिफ विनियमों (कंपनियों के बीच समाधान सहित) के कार्यान्वयन के कारण किसी भी पाइपलाइन कंपनी पर कोई अतिरिक्त माल और सेवा कर ("जीएसटी") लागू होता है, उसे उस वर्ष के लिए संबंधित कंपनी के राजस्व पात्रता में शामिल किया जाएगा।

iv. बिंदु (3) में उप बिन्दु ii) में, तालिका में शब्द "यूएफटी = संबंधित अवधि के लिए निर्धारित एकीकृत टैरिफ" को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

$AUFT_n$	=	समाधान तंत्र के अनुसार पूर्व-निर्धारित अनुपात पर एकीकृत संविदात्मक पथ के लिए कंपनी द्वारा प्रभारित लागू एकीकृत क्षेत्रीय टैरिफ दर

v. टिप्पणियों में, अंत में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"इसके अलावा, एकीकृत टैरिफ विनियमों के कार्यान्वयन के कारण किसी भी पाइपलाइन कंपनी पर कोई अतिरिक्त माल और सेवा कर ("जीएसटी") लागू होता है, (कंपनियों के बीच समाधान सहित) तो उसे उस वर्ष के लिए संबंधित कंपनी के राजस्व पात्रता में शामिल किया जाएगा।"

ड. अनुसूची ख में, "अनुसूची ख के अनुलग्नक-1..." से शुरू होने वाले और "..... टिप्पण: उपर्युक्त प्रारूपों का उपयोग अनुमानित मात्रा प्रदान करने के लिए भी किया जाएगा" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों का लोप किया जाएगा;

च. अनुसूची ग के बाद, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा:

अनुसूची घ
{विनियम 2(1) (जक)}
समाधान तंत्र का प्रारूप

1. प्रयोज्यता

2. समाधान तंत्र, राष्ट्रीय गैस ग्रिड प्रणाली **("एनजीजीएस")** का हिस्सा बनने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन सेवाओं का लाभ उठाने वाले शिपरों सहित सभी कंपनियों और पाइपलाइन कंपनियां जो अनुसूची ग में वर्णित एनजीजीएस का हिस्सा हैं, पर लागू होगा।

3. परिभाषाएं

4. इस समाधान तंत्र के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो यहां नीचे दिया गया है:

(क) **"सामान्य मात्रा"** का अर्थ प्राकृतिक गैस की मात्रा से है जो एनजीजीएस के तहत आपूर्ति बिंदु से अंतिम निकास बिंदु तक कई कंपनियों की पाइपलाइन(नों) के माध्यम से गुजरती है।

(ख) **"घाटे में कंपनी"** का अर्थ उस कंपनी से होगा, जिसे एकीकृत टैरिफ प्रभार लेने से गैस का परिवहन करने पर राजस्व में घाटा होने की उम्मीद है, जो संबंधित अवधि के दौरान अनुमोदित टैरिफ को देखते हुए इसकी पात्रता से कम होता है।

(ग) **"घाटे की राशि"**, जैसा कि संदर्भ में अपेक्षित हो सकता है, का अर्थ एकीकृत टैरिफ के माध्यम से सभी कंपनियों की चालान राशि और सभी कंपनियों द्वारा राजस्व पात्रता के बीच हिसाब लगाया गया कोई नकारात्मक अंतर होगा।

(घ) **"अंतिम निकास बिंदु"** का अर्थ उस बिंदु से होगा जहां से पहले पहचाने गए शिपर(रों) को डिलीवरी के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से गैस निकाली जाती है।

(ङ) **"उद्योग समिति"** का अर्थ बोर्ड द्वारा गठित समिति होगी, जिसमें अनुसूची ग में एनजीजीएस का हिस्सा बनने वाली पाइपलाइन कंपनियों द्वारा विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, जो समाधान तंत्र के विकास और प्रचालन के उद्देश्य से तथा एकीकृत टैरिफ से संबंधित मामलों पर संबंधित पाइपलाइन कंपनी की ओर से कार्य करेंगी और निर्णय लेंगी।

(च) **"इंटरकनेक्शन प्वाइंट"** का अर्थ उस बिंदु से है जहां दो अलग-अलग पाइपलाइन कंपनियों के दो सामान्य वाहक या संविदा वाहक पाइपलाइन आपस में जुड़ते हैं और जिस पर एक कंपनी की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में दूसरी कंपनी, जो एनजीजीएस का एक हिस्सा है, की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से गैस इंजेक्ट की जाती है।

(छ) **"पाइपलाइन कंपनी"** का अर्थ उस कंपनी से है जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत है।

(ज) **"समाधान समिति"** का अर्थ इस अनुसूची के पैरा 3.1 (क) के अनुसार गठित समिति से होगा, जो चालान तैयार करने, संग्रह, अधिशेष/घाटे के समाधान आदि से संबंधित डेटा के सत्यापन सहित इस समाधान तंत्र के प्रचालन की सुविधा प्रदान करेगी।

(झ) **"एकल कंपनी मात्रा"** का अर्थ एनजीजीएस का हिस्सा बनने वाली एकल कंपनी की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन(नों) पर एकीकृत संविदात्मक पथ के साथ प्राकृतिक गैस की मात्रा से है।

(ञ) **"आपूर्ति बिंदु"** का अर्थ उस बिंदु से है जिस पर आगे के परिवहन के लिए स्रोत से एनजीजीएस में गैस इंजेक्ट की जाती है।

(ट) **"अधिशेष राशि"** जैसा कि संदर्भ में अपेक्षित हो सकता है, का अर्थ एकीकृत टैरिफ के माध्यम से सभी कंपनियों की चालान राशि और सभी कंपनियों द्वारा राजस्व पात्रता के बीच हिसाब लगाया गया कोई सकारात्मक अंतर होगा।

(ठ) **"अधिशेष कंपनी"** का अर्थ उस कंपनी से होगा जो एकीकृत टैरिफ के प्रभार द्वारा गैस के परिवहन के लिए अधिशेष राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद करती है, जो कि संबंधित अवधि के दौरान अनुमोदित टैरिफ को देखते हुए पात्रता से अधिक है।

(ड) **"लेन-देन दिवस/टी"** का अर्थ चालान अवधि (पाक्षिक) का अंतिम दिन होगा, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्तिगत कंपनी शिपर को चालान भेजती है।

(ढ) **"कार्य दिवस"** शनिवार, रविवार या सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित दिन के अलावा किसी भी दिन से संबंधित होगा।

(ण) यहां प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, तथा पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 में और इसके तहत बनाए गए मौजूदा विनियमों में परिभाषित किया गया है, का क्रमशः उस अधिनियम में उन्हें दिया गया अर्थ होगा।

5. **समाधान तंत्र**

6. **समाधान समिति**

इस समाधान तंत्र के प्रचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, नीचे निर्धारित किए गए अनुसार एक समाधान समिति का गठन किया जाएगा:

(क) **समाधान समिति का गठन**

7. समाधान समिति में उद्योग समिति के 5 (पांच) सदस्य शामिल होंगे।

8. समाधान समिति के 5 (पांच) सदस्यों में से 3 (तीन) स्थायी सदस्य होंगे। **("स्थायी सदस्य")**।

9. शेष 2 (दो) सदस्यों का चयन ऐसी कंपनियों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने ऐसी शेष कंपनियों **("अस्थायी सदस्य")** के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए स्थायी सदस्य उपलब्ध नहीं कराए हैं। अस्थायी सदस्य को वार्षिक आधार पर बारी-बारी से लिया जाएगा।

10. स्थायी सदस्यों में से, 1 (एक) सदस्य को स्थायी सदस्यों द्वारा समाधान समिति के प्रमुख सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए

वार्षिक आधार पर चुना जाएगा। प्रमुख सदस्य का कार्यकाल पूरा होने से एक महीने पहले, स्थायी सदस्य अगले वर्ष के लिए प्रमुख सदस्य तय करेंगे। प्रमुख सदस्य का कार्यकाल 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक होगा, जब तक कि समाधान समिति द्वारा बढ़ाया/ घटाया नहीं जाता। पहली बार प्रमुख सदस्य का कार्यकाल बोर्ड द्वारा इस समाधान तंत्र के अनुमोदन की तिथि से शुरू होगा।

11. गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड (जीएसपीएल), गेल (इंडिया) लिमिटेड और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पीआईएल) के प्रतिनिधि तब तक समाधान समिति के स्थायी सदस्य होंगे, जब तक कि उद्योग समिति द्वारा बदला/ प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है और इसके द्वारा बोर्ड को अधिसूचित नहीं किया जाता है।

12. पीआईएल का प्रतिनिधि समाधान समिति का पहला प्रमुख सदस्य होगा, और उसके बाद, प्रमुख सदस्य के किसी भी बदलाव/ प्रतिस्थापन को समाधान समिति द्वारा बोर्ड को संपर्क विवरण के साथ सूचित किया जाएगा।

(ख) **समाधान समिति का कार्य:**

(i) *समाधान समिति नियमित आधार पर और प्रत्येक* 15 (*पंद्रह) दिनों के भीतर बैठक बुलाएगी।*

(ii) *समाधान समिति के सभी सदस्य समाधान समिति द्वारा निर्धारित तंत्र के माध्यम से बोर्ड को यूएफटी/ समाधान कार्य राशि से संबंधित डेटा प्रस्तुत करने से पहले इसकी पुष्टि करेंगे।*

(iii) *प्रमुख सदस्य के साथ समाधान समिति तब तक काम करेगी जब तक कि टीएसओ/ पूल ऑपरेटर/ स्वतंत्र कंपनी को बोर्ड/ भारत सरकार द्वारा नियुक्त नहीं कर दिया जाता है और वह उद्योग और/या समाधान समिति की जिम्मेदारी नहीं ले लेता है।*

(iv) *समाधान समिति* 10 *वर्ष की अवधि तक परिभाषित समाधान तंत्र के अनुसार की गई सभी गणनाओं का रिकॉर्ड रखेगी।*

13. <u>प्रमुख सदस्य की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व</u>

प्रमुख सदस्य की भूमिका निम्न प्रकार होगी:

(क) समाधान समिति की बैठकों का समन्वय करना।

(ख) यूएफटी और समाधान तंत्र के सभी पहलुओं के संबंध में उद्योग समिति और बोर्ड के साथ संचार और समन्वय करना।

(ग) यूएफटी से संबंधित किसी भी प्रश्न को स्पष्ट/ समाधान करने में बोर्ड को सहायता देना और समन्वय करना।

(घ) समाधान समिति या उद्योग समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य गतिविधि।

(ङ) किसी प्रतिष्ठित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना जो सभी समाधान राशियों और तिमाही आधार पर इसकी कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा करेगी। समाधान समिति द्वारा उद्योग समिति के परामर्श से संयुक्त रूप से लेखा परीक्षक के कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेखापरीक्षकों का व्यय उद्योग समिति के सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाएगा।

3.3 **<u>समाधान समिति का कार्यक्षेत्र</u>**

(क) बोर्ड द्वारा एकीकृत टैरिफ **("यूएफटी")** की गणना समाधान समिति (इसके बाद परिभाषित) द्वारा प्रदान की जाएगी। उद्योग समिति समाधान समिति की विधिवत और समय पर सहायता करेगी। उद्योग समिति के सदस्य यहां दिए गए **अनुलग्नक-1** के अनुसार होंगे। उद्योग समिति में बाद में होने वाले किसी भी बदलाव या नए सदस्यों को शामिल करने की सूचना बोर्ड द्वारा बाद में दी जाएगी। उद्योग समिति/ समाधान समिति के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व उसके मुख्य एवं वैकल्पिक प्रतिनिधि द्वारा हर समय किया जाएगा। उद्योग समिति की सदस्य कंपनियां मुख्य और वैकल्पिक प्रतिनिधियों से संबंधित परिवर्तनों को बोर्ड को अग्रिम रूप से सूचित करेंगी और 5 कार्य दिवसों की अतिव्यापी समय अवधि सुनिश्चित करेंगी जहां पद छोड़ने वाले और पद ग्रहण करने वाले दोनों प्रतिनिधि उपस्थित होंगे।

(ख) समाधान समिति बोर्ड द्वारा यूएफटी निर्धारण के लिए सामान्य मात्रा के लिए प्रत्येक पाइपलाइन कंपनी के साथ उचित समाधान करने के बाद पाइपलाइन कंपनियों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशित क्षेत्रीय मात्रा सहित सभी आवश्यक दस्तावेज/ सूचना प्रदान करने में बोर्ड की सहायता करेगी। समाधान समिति यह सुनिश्चित करेगी कि बोर्ड द्वारा अपेक्षित कोई भी दस्तावेज/ सूचना समय पर उपलब्ध कराई जाए।

(ग) समाधान समिति समाधान राशि की गणना करने और संबंधित कंपनियों के साथ समायोजन करने के लिए कंपनियों

द्वारा प्रस्तुत वास्तविक डेटा का समय-समय पर मिलान करेगी।

3.4 **<u>मात्रा अनुमानों के लिए डेटा</u>**

यूएफटी के निर्धारण के लिए बोर्ड को अनुमानित/ प्रत्याशित मात्रा, कैलोरी मान, क्षेत्रीय दूरियों के लिए पूर्वानुमानित डेटा वार्षिक आधार पर प्रदान किया जाएगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा अपेक्षित न हो, जो कई कारणों से हो सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पाइपलाइनों, जो एनजीजीएस का एक हिस्सा हैं, में परिवर्तन, मात्रा पूर्वानुमानों में बड़े बदलाव आदि शामिल है।

बोर्ड के साथ डेटा साझा करने से पहले सामान्य मात्रा सहित डेटा का उद्योग समिति द्वारा विधिवत मिलान किया जाएगा। पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 और समय-समय पर किसी भी संशोधन के प्रावधानों के अनुसार यूएफटी का निर्धारण और अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

14. उपर्युक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, कंपनियां प्रत्येक वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह तक बोर्ड को अगले वित्तीय वर्ष के लिए पूर्वानुमानित डेटा प्रदान करेंगी। पूर्वानुमानित डेटा को **अनुलग्नक-2** में दिए गए प्रारूप के अनुसार या यूएफटी के निर्धारण के लिए बोर्ड द्वारा अपेक्षित अन्य प्रारूप के अनुसार साझा किया जाएगा। यूएफटी प्रणाली के परिपक्व होने पर, उद्योग समिति मात्रा अनुमानों की अवधि को वार्षिक से घटाकर अर्ध-वार्षिक करने पर विचार कर सकती है और इस प्रकार एक अधिक सटीक एकीकृत टैरिफ गणना तय कर सकती है।

3.5 **चालान जारी करने के लिए यूएफटी अनुपात की गणना (यूएफटी अनुपात)**

बोर्ड प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक यूएफटी अनुपात कार्यों के लिए पैरा 3.3 में उल्लिखित पूर्वानुमानित डेटा के आधार पर समाधान समिति के साथ अपेक्षित यूएफटी कार्यों को साझा करेगा। समाधान समिति एनजीजीएस का हिस्सा बनने वाली प्रत्येक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए यूएफटी अनुपात और संभावित अधिशेष कंपनी और घाटे वाली कंपनी का हिसाब लगाएगी, जिसका उपयोग संबंधित कंपनियों द्वारा शिपरों को सामान्य मात्रा के चालान जारी करने के लिए यूएफटी के हिस्से को निर्धारित करने के उद्देश्य से किया जाएगा। एकल कंपनी मात्रा के मामले में, संबंधित कंपनी यूएफटी के 100% चालान जारी करेगी। समाधान समिति प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक बोर्ड को संभावित अधिशेष और घाटे वाली कंपनी के विवरण के साथ यूएफटी अनुपात प्रदान करेगी।

यूएफटी और यूएफटी अनुपात बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे और प्रत्येक वर्ष मार्च के पहले सप्ताह तक इसकी वेबसाइट पर होस्ट किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी यूएफटी के लिए, यूएफटी गणना उपयुक्त आईटी मॉडल/या किसी अन्य मोड के माध्यम से की जाएगी, जैसा कि समाधान समिति द्वारा निर्धारित किया गया है और बाद में उद्योग समिति के अनुभव के आधार पर, अंतिम यूएफटी निकालने के लिए एक उन्नत आईटी टूल विकसित और उपयोग किया जाएगा।

सामान्य मात्रा के लिए चालान प्रस्तुत करने हेतु यूएफटी अनुपात का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तिगत कंपनी द्वारा समग्र अनुमानित राजस्व पात्रता प्राप्त करने के लिए प्राथमिक रूप से अधिशेष कंपनियों और घाटे वाली कंपनियों के बीच समाधान की राशि को कम करना होगा। इसी उद्देश्य के लिए, कंपनियों को अनुमानित मात्रा के लिए सूचना के डेटा (केवल अनुमानित क्षेत्रीय मात्रा को साझा करने की आवश्यकता है और व्यक्तिगत संविदा-वार डेटा साझा करने की आवश्यकता नहीं है) तथा समाधान समिति के अनुसार अनुमोदित टैरिफ निर्धारित प्रारूप को समय पर साझा करने आवश्यकता होगी। सूचना को सुचारू रूप से और समय पर प्राप्त करने के अनुभव के आधार पर प्रारूप, जिसमें कंपनियों द्वारा जानकारी साझा की जाएगी, में कोई भी संशोधन को समाधान समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। समाधान राशि और प्रक्रिया को अनुकूल बनाने के लिए समाधान समिति द्वारा नीचे दिए गए सिद्धांतों और आधार का पालन करके यूएफटी अनुपात को अंतिम रूप दिया जाएगा:

(क) अधिशेष कंपनियां कम से कम अधिशेष उत्पन्न करने के लिए न्यूनतम सहमत अनुपात का चालान प्रस्तुत करेंगी। दो से अधिक कंपनियों के मामले में, उच्च अनुमानित अधिशेष वाली कंपनी न्यूनतम सहमत अनुपात का उपयोग करेगी।

(ख) दो कंपनियों के मामले में, वह कंपनी जिसके द्वारा अपने अनुमानित राजस्व पात्रता को पूरा करने की संभावना है, समायोजित अनुपात पर चालान प्रस्तुत करेगी जो अपने अनुमानित राजस्व पात्रता के बराबर किसी भी राशि का चालान प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त होगा।

(ग) इसी प्रकार, तीन कंपनियों के मामले में, अधिशेष कंपनी न्यूनतम सहमत अनुपात पर चालान प्रस्तुत करेगी, और शेष दो कंपनियों के साथ अनुपात को अधिशेष कंपनी की अनुमानित राजस्व पात्रता की सीमा तक सीमित करने का प्रयास करेगी।

(घ) दो अधिशेष कंपनियों के मामले में, कम अनुमानित राजस्व पात्रता वाली कंपनी को न्यूनतम सहमत प्रतिशत पर चालान जारी करने की अनुमति दी जाएगी।

(ङ) संविदात्मक पथ से संबंधित प्रत्येक व्यक्तिगत कंपनी द्वारा न्यूनतम सहमत प्रतिशत पर चालान जारी किया जाएगा। चालान जारी करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत रखने का उद्देश्य समाधान राशि को यथासंभव न्यूनतम स्तर तक कम करना है और साथ ही प्रत्येक पाइपलाइन कंपनी शिपर के साथ प्रत्यक्ष संविदात्मक संबंध बनाए रख सकती है।

(च) ऐसे अन्य पहलू जो उद्योग समिति के परामर्श से समाधान संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(छ) उपर्युक्त निर्धारित समय-सीमा के अनुसार इस प्रकार निर्धारित अनुपात बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

15. इस समाधान तंत्र को लागू करने के लिए, सभी पाइपलाइन कंपनियां इस समाधान तंत्र के प्रावधानों के अनुसार उद्योग समिति के प्रतिनिधियों द्वारा पारस्परिक रूप से और समय पर संविदा/ समाधान तैयार करके उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बशर्ते कि कोई नया सदस्य भी उद्योग समिति में शामिल होने पर ऐसे संविदा/ करार पर हस्ताक्षर करेगा।

16. 3.6 **चालान जारी करना**

प्रत्येक कंपनी निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर चालान जारी करेगी:

(क) **चालान मात्रा -** चालान मात्रा को पाइपलाइन कंपनियों और शिपरों के बीच संबंधित संविदाओं/ समझौतों के अनुसार संबंधित कंपनी नेटवर्क के निकास बिंदु पर मापा जाएगा।

(ख) **टैरिफ –** कुल मिलाकर शिपर केवल जोनल यूएफटी लागू होने पर चार्ज किया जाएगा। अलग-अलग कंपनियां एकल मात्रा के लिए लागू जोनल यूएफटी पर चालान प्रस्तुत करेंगी। सामान्य मात्रा के लिए शिपरों को लागू ज़ोनल यूएफ़टी, समाधान समिति द्वारा निर्धारित अनुपात और बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपात के अनुसार चार्ज किया जाएगा, बशर्ते कि पूर्व-निर्धारित अनुपात के अनुसार चार्ज किए गए टैरिफ की कुल राशि लागू ज़ोनल एकीकृत टैरिफ़ के बराबर होगी।

(ग) शिपर(रों) के एकीकृत संविदात्मक मार्ग में शामिल प्रत्येक कंपनी समाधान समिति द्वारा गणना किए गए और बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूर्व निर्धारित अनुपात के अनुसार शिपर(रों) को चालान जारी करेंगी।

(घ) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीजीडी कंपनियों को एपीएम/ गैर-एपीएम घरेलू गैस के आवंटन के लिए क्षमता की बुकिंग के उद्देश्य से, कंपनी (कंपनियों) के पास मात्रा और निकास बिंदु को बदलने की छूट होगी।

17. 3.7 **डेटा साझा करना**

चालान जारी करने के बाद, एनजीजीएस का हिस्सा बनने वाली संबंधित कंपनी पाइपलाइन से संबंधित डेटा को पाक्षिक आधार पर समाधान समिति के साथ साझा करेगी। कंपनियों को समाधान समिति को टी+5 कार्य दिवसों पर या उससे पहले वास्तविक डेटा प्रस्तुत करना होगा। डेटा को अनुलग्नक-3 में प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार साझा किया जाएगा या ऐसे अन्य प्रारूप के रूप में समाधान समिति द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति दी जा सकती है।

18. 3.8 **समाधान राशि की गणना**

19. उपर्युक्त पैरा 3.6 में संदर्भित कंपनियों द्वारा साझा किए गए डेटा के आधार पर, समाधान समिति मिलान कार्य पूरा करेगी और समाधान राशि की प्रोसेसिंग के लिए एक कार्य दिवस के भीतर अर्थात् टी+6 कार्य दिवसों द्वारा उद्योग समिति को सूचित करेगी। घाटे वाली कंपनियों से समाधान चालान के प्राप्त होने की तारीख से अधिशेष कंपनियां दो कार्य दिवसों के भीतर भुगतान पूरा कर लेंगी।

(क) समाधान समिति अलग-अलग कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा का मिलान करेगी और किसी कंपनी द्वारा डेटा प्रस्तुत करने में देरी के मामले में, देरी करने वाली कंपनी द्वारा पिछले पखवाड़े में प्रस्तुत किए गए डेटा पर अनंतिम आधार पर विचार किया जाएगा और अगले पखवाड़े आवश्यक समायोजन किया जाएगा। सभी कंपनियां डेटा के समय पर मिलान के लिए आवश्यक सहायता/ अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेंगी।

(ख) समाधान राशि का हिसाब लगाने की पद्धति निम्नानुसार होगी:

20. किसी भी व्यक्तिगत कंपनी के लिए समाधान राशि [शिपरों को जारी किए गए चालान की कुल राशि के योग जो लागू क्षेत्रीय यूएफटी अनुपात घटा (-) एनजीजीएस का भाग बनने वाली संबंधित पाइपलाइनों के लिए लागू होने वाले स्वीकृत टैरिफ के आधार पर राजस्व पात्रता] के बराबर होगी।

21. सकारात्मक समाधान राशि वाली कंपनियों (अधिशेष) को ऋणात्मक समाधान राशि वाली कंपनियों (घाटा) द्वारा चालान जारी किया जाएगा।

22. समाधान समिति अधिशेष कंपनियों और घाटे वाली कंपनियों का विवरण प्रदान करेगी तथा उद्योग समिति को समाधान राशि की प्रोसेसिंग के बारे में विवरण देते हुए यह बताएंगी कि कौन किसके साथ कितनी राशि को समायोजित करेगी।

(ग) अधिशेष कंपनी द्वारा भुगतान में देरी के मामले में, भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर (एसबीआईबीआर) की दर से भुगतान की तिथि पर लागू होने वाली ब्याज दर प्लस 6.25% प्रति वर्ष विलंबित राशि पर लागू होगा।

(घ) यदि अधिशेष कंपनी द्वारा भुगतान में 2 कार्य दिवसों से अधिक की देरी होती है, जैसा कि ऊपर दिया गया है, तो घाटे वाली कंपनी को ब्याज सहित अधिशेष राशि से समाधान चालान की प्राप्ति की तारीख से तीसरे कार्य दिवस पर मुआवजा दिया जाएगा और ऐसी अधिशेष कंपनी चालान की गई राशि और लागू ब्याज को जमा करने की तारीख तक अधिशेष राशि के प्रासंगिक खाते में जमा करेगी। यदि कोई अधिशेष राशि नहीं है, तो ब्याज सहित देय राशि अगले पखवाड़े के निपटारे में ऐसी अधिशेष कंपनी की राजस्व पात्रता से समायोजित की जाएगी जिसने राशि का भुगतान नहीं किया है।

(ङ) इस समाधान तंत्र के कार्यान्वयन की तारीख से पहले चार महीनों के लिए भुगतान में देरी के लिए कोई दंडात्मक शुल्क/ब्याज नहीं होगा, यदि ऐसी देरी अधिशेष कंपनी के नियंत्रण से परे कारणों से हुई है और अधिशेष कंपनी ने किसी भी चूक करने वाले शिपर भुगतान को छोड़कर, अपनी राजस्व पात्रता से अधिक प्राप्त राशि का समय पर भुगतान किया है।

(च) पहले चार महीनों की अवधि के बाद, शिपर द्वारा किसी भी देरी या चूक के बाद, समाधान समिति, शिपर(रों) द्वारा जीटीए के तहत देय राशि का भुगतान न करने या शिपर(रों) द्वारा भुगतान में देरी करने, जहां न तो भुगतान सुरक्षा तंत्र को लागू किया जा सकता है और न ही गैस संचरण को रोका जा सकता है, के संबंध में अधिशेष कंपनी द्वारा भुगतान न करने के मामलों के लिए किसी सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए नेकनीयती से चर्चा शुरू करेगी।

(छ) किसी भी न्यायालय से किसी स्थगन आदेश और/या ऐसे शिपर के साथ संविदा के तहत सभी भुगतान सुरक्षा दस्तावेज के समाप्त होने के कारण शिपर से भुगतान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, अधिशेष कंपनी (कंपनियों) को उस सीमा तक घाटे वाली कंपनी (कंपनियों) को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। घाटे वाली कंपनी (कंपनियां) इस तरह के भुगतान को अधिशेष राशि से प्राप्त करेगी। यदि अधिशेष राशि में कोई शेष राशि नहीं है, तो कमी की राशि को बाद के पखवाड़े के समाधान कार्य में आवश्यक समायोजन करके राजस्व पात्रता के अनुपात में एनजीजीएस का हिस्सा बनने वाली सभी पाइपलाइन कंपनियों द्वारा साझा किया जाएगा और उसे ऐसे ग्राहक से राशि प्राप्त होने के बाद, या अगले पखवाड़े में, या अगली यूएफटी समीक्षा में समायोजन के माध्यम से, जो भी पहले हो, पूरा किया गया। इसके अलावा, ऐसे विशिष्ट ग्राहक के लिए, उस ग्राहक के राजस्व और मात्रा को अगली यूएफटी समीक्षा के समय बाद के पखवाड़े के समाधान कार्य और यूएफटी निर्धारण से राजस्व पात्रता के लिए नहीं माना जाएगा। स्थगन के हटने के बाद ऐसे ग्राहक से प्राप्त किसी भी राशि को समाधान तंत्र के एक भाग के रूप में माना जाएगा।

(ज) पहले महीने के समाधान डेटा के आधार पर, समाधान समिति अगली तिमाही के लिए अधिशेष और घाटे वाली कंपनी(कंपनियों) की पहचान करेगी। अधिशेष कंपनी (कंपनियां) घाटे वाली कंपनी (कंपनियों) को भुगतान सुरक्षा प्रदान करेगी। इस संबंध में समाधान समिति पहले महीने के दौरान भुगतान सुरक्षा तंत्र तैयार करेगी। इसके अलावा, समाधान समिति सॉफ्टवेयर के विकसित होने/आईटी प्रणाली के लागू होने के बाद डेटा शेयरिंग, भुगतान की समय-सीमा और भुगतान सुरक्षा तंत्र की भी समीक्षा करेगी।

3.9 **विवाद समाधान तंत्र:**

(क) शुरुआत में विवाद में शामिल कंपनियों के बीच विवाद को पारस्परिक रूप से हल करने का प्रयास किया जाएगा। समाधान करने में विफल होने की स्थिति में, विवाद के समाधान के लिए प्रभावित कंपनी (कंपनियों) द्वारा समाधान

समिति से संपर्क किया जाएगा।

(ख) समय पर समाधान के लिए विवाद/ मुद्दे पर समाधान समिति और संबंधित कंपनियों के बीच आयोजित एक संयुक्त बैठक में चर्चा की जाएगी।

(ग) यदि पार्टियां उपर्युक्त तंत्र के माध्यम से अपने समाधान विवाद को हल करने में विफल रहती हैं, तो ऐसे विवादों को अंतिम निर्णय के लिए बोर्ड को भेजा जा सकता है।

3.10 **अधिशेष राशि प्रबंधन**

(क) एक पखवाड़े के भीतर अधिशेष राजस्व संग्रह के मामले में, घाटे वाली कंपनियों को भुगतान के बाद, ऐसी अधिशेष राशि की पहचान समाधान समिति द्वारा की जाएगी और उसे संबंधित कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

(ख) महीने के अंत में इस अधिशेष राशि को सेबी के साथ पंजीकृत कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से कम से कम एए+ की दीर्घकालिक क्रेडिट रेटिंग वाली संबंधित कंपनियों द्वारा प्रतिदेय सावधि जमा (एफडी) में निवेश किया जाएगा, बशर्ते कि कंपनी के पास अधिशेष राशि न्यूनतम दस लाख रुपए हो।

(ग) कटौती के बाद अर्जित ब्याज के साथ सावधि जमा राशि और अन्य कोई भी खर्च, जैसा कि समाधान समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, वर्ष भर प्रबंधन का खर्च पूरे वर्ष के समाधान के लिए या बाद के यूएफटी समायोजन के लिए उपयोग किया जाएगा।

(घ) अधिशेष राशि से निकासी तंत्र की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

(i) *समाधान समिति आंतरिक रूप से लागू कटौतियों की गणना और चर्चा करेगी, और समिति की प्रत्येक बैठक में उपार्जित अधिशेष राशि उपलब्ध कराई जाएगी।*

(ii) *समय-समय पर, समाधान समिति या तो समाधान के लिए या बाद के यूएफटी समायोजन के लिए अग्रेनीत अधिशेष राशि के उपयोग पर विचार-विमर्श करेगी।*

(ड.) पहले चार महीनों के अनुभव के आधार पर, समाधान समिति बोर्ड के अनुमोदन से यूएफटी संग्रह में कमी की अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए निधियों की सीमा निर्धारित करेगी।

(च) घाटे की राशि के मामले में, समाधान समिति इस तरह की घाटे की राशि को ठीक करने के लिए तंत्र पर चर्चा करेगी जब तक कि ऐसी घाटे की राशि को पूरा नहीं किया जाता है। उद्योग समिति घाटे की राशि को उनकी राजस्व पात्रता के अनुपात में साझा करेगी।

3.11 **असंतुलन प्रभार**

(क) कंपनियों द्वारा शिपरों के साथ उनकी संविदाओं के अनुरूप उनके संबंधित नेटवर्क के लिए प्रासंगिक विनियम के अनुसार असंतुलन मात्रा की गणना की जाएगी।

(ख) असंतुलन प्रभार संविदात्मक पथ में प्रत्येक व्यक्तिगत कंपनियों के लिए यूएफटी के लागू चालान अनुपात पर होगा।

3.12 **विविध**

(क) शिपरों को संशोधित चालान देने के मामले में, इसे अगले बिलिंग/ भुगतान चक्र में समायोजित किया जाएगा।

(ख) अशोध्य ऋणों को संबंधित गैस ट्रांसमिशन करार (जीटीए) में निपटाया जाएगा और उपर्युक्त पैरा 3.7 में दर्शाए गए अनुसार को छोड़कर यह समाधान राशि और भुगतान की समय-सीमा को प्रभावित नहीं करेगा।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./726/2022-23]

अनुलग्नक-1

उद्योग समिति के सदस्य

गेल (इंडिया) लिमिटेड
पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
रिलायंस गैस पाइपलाइन लिमिटेड
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड
गुजरात गैस लिमिटेड
जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड
जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड

अनुलग्नक-2

पूर्वानुमानित डेटा साझा करने के लिए प्रारूप

	प्रवेश		निकास									
कंपनी	आपूर्ति बिंदु	अन्य कंपनी के साथ इनपुट इंटरकनेक्शन प्वाइंट	निकास बिंदु	अन्य कंपनी के साथ आउटपुट इंटरकनेक्शन प्वाइंट	एकीकृत टैरिफ पथ	मात्रा (एमएमएससीएमडी)	सकल कैलोरी मान (एमएमबीटीयू)	दूरी (कि.मी.) #	इनपुट इंटरकनेक्शन प्वाइंट कंपनी	आउटपुट इंटरकनेक्शन प्वाइंट कंपनी	टैरिफ *(आईएनआर /एम एमबीटीयू)	सामान्य मात्रा/ एकल कंपनी मात्रा

***टिप्पणी –** कंपनियां केवल संबंधित अनुमोदित जोनल टैरिफ साझा करेंगी

अनुलग्नक-3

वास्तविक पाक्षिक पाइपलाइन-वार डेटा प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

पाइपलाइन का नाम ---------- पखवाड़ा और महीना ----------

क्षेत्र	स्वीकृत टैरिफ (आईएनआर/ एमएमबीटीयू) (क)	परिवहन की गई गैस की वास्तविक मात्रा (एमएमबीटीयू जीसीवी) (ख)	पोत या भुगतान मात्रा (एमएमबीटीयू जीसीवी) (ग)	कुल मात्रा (एमएमबीटीयू) (घ) = (ख)+(ग)	पात्रता राजस्व (ङ.) = (घ)* (क) (आईएनआर)
जोन 1					
जोन 2					
जोन एन					

क्षेत्र	चालान एकीकृत टैरिफ/ आंशिक एककृत टैरिफ (आईएनआर/ एमएमबीटीयू) (च)	गैस परिवहन की वास्तविक मात्रा (एमएमबीटीयू जीसीवी) (छ)	पोत या भुगतान मात्रा (एमएमबीटीयू जीसीवी) (ज)	कुल मात्रा (एमएमबीटीयू) (झ)= (ख)+(ग)	चालान राशि (ञ)=(झ)*(च) (आईएनआर)
एकीकृत टैरिफ पथ 1					
एकीकृत टैरिफ पथ 2					
एकीकृत टैरिफ पथ एन					

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) में संख्या जी.एस.आर.807(ई), दिनांक 20 नवंबर, 2008 के तहत और जी.एस.आर. 986(ई), दिनांक 20 दिसंबर, 2010 और, फा.सं. सितंबर, 2012 और फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48, दिनांक 17 फरवरी, 2014 और फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/100, दिनांक 27 फरवरी, 2014 और फा.सं. एल-विविध/VI/I/20017, दिनांक 01 जनवरी, 2015 और पीएनजीआरबी /एम(सी)/110, दिनांक 08 जनवरी, 2016, पीएनजीआरबी/कॉम/2-एनजीपीएल टैरिफ (3)/2019, दिनांक 27 मई, 2019, और फा.सं. पीएनजीआरबी/सीओएम/2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2019 खंड-II, दिनांक 27 मार्च, 2020 और फा.सं. पीएनजीआरबी/सीओएम/2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2014 खंड -IV(पार्ट-1) (पी-1439) दिनांक 23 नवंबर, 2020, फा.सं. 23 नवंबर, 2020, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीओएम/2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2019 खंड-IV (पी-4121) दिनांक 17 नवंबर, 2022 और फा.सं. पीएनजीआरबी/सीओएम/2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2019 खंड-IV (पी-4121) दिनांक 18 नवंबर, 2022 प्रकाशित किए गए थे।

THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2023

PNGRB/Com/10-NGPL Tariff (11)/2022 (P-4142).—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (2) of section 61 read with clause (e) of section 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, namely: -

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, —

a. In regulation 2, in sub-regulation (1);

i. for clause (ea), the words starting with “the authorised entity……” and ending with “……. natural gas grid system ” shall be substituted by the following namely: —

"one or more authorized entities laying, building, operating or expanding natural gas pipeline(s) constituting part of national gas grid system and which raises the invoice on the shipper(s) for the Unified Contractual Path";

ii. after clause h, following clause shall be inserted, namely—

"(ha) "Settlement Mechanism" means a mechanism enlisted as Schedule D which may be framed by the Board from time to time in consultation with pipeline entities as detailed at Schedule C.";

iii. for clause (l), the following shall be substituted, namely: —

"(l) "unified contractual path" means the route on the national gas grid system between the unified entry point and the unified exit point for the shipper(s); Provided that the Unified Contractual Path is to be confirmed by the shipper(s) at the time of capacity booking(s) and agreed by the transporter(s). Provided further that in case there are multiple shippers involved in transportation of gas on the Unified Contractual Path, details of all such shippers shall also be confirmed at the time of capacity booking and accepted by the transporter(s).";

iv. for clause (m), at the end the following shall be inserted, namely: —

"which shall be confirmed by the shipper at the time of capacity booking and agreed by the transporter(s)";

v. for clause (n), at the end the following shall be inserted, namely: —

"which shall be confirmed by the shipper at time of capacity booking and agreed by the transporter(s)."

b. In regulation 5A under the head "Procedure for Determination of Unified Tariff and matters incidental thereto;–

i. in clause (1), at the end, the following shall be inserted, namely; –

"Provided that if such unified contractual path consists of pipelines of different entities, then all such entities shall raise invoice towards applicable unified zonal tariff at a pre-defined ratio determined in accordance with the Settlement Mechanism and the shipper(s) shall be liable to pay such unified zonal tariff to such invoicing entities as per their respective invoices;

Provided further that the sum total of such unified tariff for a unified contractual path, charged by such invoicing entities on such shipper(s), shall be equal to the unified zonal tariff applicable for such unified contractual path.

Provided further that the applicable unified zonal tariff after multiplication with approved ratio shall be rounded to two (02) places of decimal.

Clarification: This is to clarify that the shipper(s) will be charged tariff based on the applicable tariff zones for the unified contractual path.";

ii. in clause (2), the words starting with "transporter at the……" and ending with "…….ship or for pay quantity:", shall be substituted by the following, namely; –

"transporter(s) at the exit point of the respective pipeline network forming part of the NGGS. The ship or pay quantity will be as per the respective Gas Transmission Agreement entered by the transporter(s). The invoice, including the invoice for ship or pay quantity, will be raised by

each transporting entity involved in contractual path at a predefined ratio of applicable unified tariff. The ratio shall be derived in accordance with the Settlement Mechanism.
Provided that the entity laying, building, operating or expanding natural gas pipeline other than the one which is part of national gas grid system shall continue to pay the approved tariff to such entity."

iii. in clause (3), at the end, the following proviso shall be inserted, namely; –

"Provided that in case of any additional Goods and Service tax ("GST") implication on any entity due to implementation of unified tariff regulations (including settlement between entities), the same shall be included in the revenue entitlement of the respective entity for that year."

c. In Part A of Schedule B under the head "Procedure for determination of Unified Tariff";–

i. in clause (3), –

a) after the words "the summation of quantity of gas....." and before the words ".....transported and the quantity of ship or pay", the words "estimated to be", shall be inserted;

b) after the words "and the quantity of ship or pay....." and before the words ".....for which the pipeline entity", the words ", if any", shall be inserted;

c) at the end, the proviso shall be substituted as under, namely, –

Provided that the quantities of gas estimated to be transported through multiple pipelines shall be considered only once;

Provided further that in case of any additional Goods and Service tax ("GST") implication on any entity due to implementation of unified tariff regulations (including settlement between entities), the same shall be included in the revenue entitlement of the respective entity for that year;

ii. in clause (4), –

a) in sub-clause (ii), after the words "including ship or pay quantity....." and before the words "by each pipeline", the words ", if any", and after the words "….during the twelve months" and before the words "preceding the date of determination" "**or lesser periodas available"**shall be inserted;

b) at the end, the following shall be inserted, namely, –

"(iii) any additional Goods and Service tax ("GST") implication on any entity due to implementation of unified tariff regulations (including settlement between entities), the same shall be included in the revenue entitlement of the respective entity for that year on estimated basis. Such estimation by the Board shall be final and binding on all, including pipeline entities and shippers. The impact of the difference, if any, between the estimates considered by the Board and the actuals shall be adjusted by the Board in the next determination of the unified tariff."

iii. in clause 5(1) , –

a) in point (i), the words starting with "provide to the Board....." and ending with ".....from the end of that month" is omitted;

b) in point (ii), the words starting with "continue to provide to the Board ....." and ending with ".....from the end of that month" is omitted;

c) in point (iii), the words starting with "provide to the Board estimates ....." and ending with ".....notification of this para." is omitted;

d) point (iv),the words starting with "provide every month reasons....." and ending with ".....and actuals of previous month" shall be substituted with the words "provide reasons for variation between estimates and actuals for such period and in such format as may be required by the Board.";

iv. In clause 6, under the head "Notes" –

a) for point (ii) the word "45%" shall be substituted by "52.5%"

d. In Part B of Schedule B, –

i. in point (1), at the end, the following proviso shall be inserted, namely, –

"Provided that in case of any additional Goods and Service tax ("GST") implication on any pipeline entity due to implementation of unified tariff regulations (including settlement between entities), the same shall be included in the revenue entitlement of the respective entity for that year;"

ii. in point (3), after the brackets in sub point i) in the table, the words shall be inserted "**+ IT_1….ITn**";

iii. in point (3), in sub-point i) after the words "……pipelines 1 to n for the period" the following row shall be inserted, namely, –

$IT_{1....}IT_n$	=	any additional Goods and Service tax ("GST") implication on any pipeline entity due to implementation of unified tariff regulations (including settlement between entities), the same shall be included in the revenue entitlement of the respective entity for that year.

iv. in point (3), in sub-point ii), the words in the table "UFT = unified tariff determined for the respective period" the following shall be substituted, namely, –

$AUFT_n$	=	Applicable unified zonal tariff rate charged by the entity for unified contractual path at a predefined ratio determined in accordance with the Settlement Mechanism

v. in Notes, at the end, the following shall be inserted, namely, –
"Further, any additional Goods and Service tax ("GST") implication on any pipeline entity due to implementation of unified tariff regulations, (including settlement between entities) the same shall be included in the revenue entitlement of the respective entity for that year."

e. in Schedule B, the words starting with "Attachment 1 to Schedule B....." and ending with ".....Note: Above formats shall be used for providing estimated quantities also" shall be deleted;

f. After Schedule C, the following schedule shall be inserted:

"

Schedule D

{See Regulation 2(1)(ha)}

DRAFT SETTLEMENT MECHANISM

1. APPLICABILITY

1.1. The Settlement Mechanism, shall be applicable to all the entities including shippers availing transportation services through the natural gas pipelines forming part of the National Gas Grid System ("**NGGS**") and pipeline entities which are part of NGGS as detailed at Schedule C.

2. DEFINITIONS

1.2. For the purpose of this settlement mechanism, unless the context otherwise requires, the following words and expressions shall have the meanings assigned to them herein under:

a) "**Common Volume**" shall mean the quantity of natural gas which traverses through pipeline(s) of multiple entities under the NGGS from the Supply Point to the Final Exit Point.

b) "**Deficit Entity**" shall mean the entity which is expected to obtain deficit revenue for transportation of gas by charging Unified Tariff which is less than its entitlement considering approved tariff during the relevant period.

c) "**Deficit Amount**", as the context may require, shall mean any negative difference calculated between the invoiced amount of all the entities through Unified Tariff and the revenue entitlement by all the entities.

d) "**Final Exit Point**" shall mean the point at which the gas is evacuated from the natural gas pipeline for delivery to the pre-identified Shipper(s).

e) "**Industry Committee**" shall mean the committee as constituted by Board comprising of duly authorized representatives as nominated by the pipeline entities forming the part of NGGS at Schedule C, for the purpose of development and operationalisation of settlement mechanism and to act and decide on behalf of respective pipeline entity, on matters related to Unified Tariff .

f) "**Interconnection Point**" means the point where two common carrier or contract carrier pipeline of two different pipeline entities interconnect and at which the gas is injected into the natural gas pipeline of one entity from a natural gas pipeline of other entity which is a part of NGGS.

g) **"Pipeline Entity"** means an entity who is authorized by the Board to lay, build, operate or expand the natural gas pipeline.

h) "**Settlement Committee**" shall mean the committee constituted in accordance with paragraph 3.1(a) of this Schedule, to facilitate the operationalization of the settlement mechanism including the validation of data pertaining to invoicing, collection, settlement of surplus/deficit, etc.

i) "**Single Entity Volume**" shall mean the quantity of Natural Gas with Unified Contractual Path on the natural gas pipeline(s) of a single entity forming part of NGGS.

j) "**Supply Point**" means the point at which the gas is injected in the NGGS from the source for further transportation.

k) "**Surplus Amount**" as the context may require, shall mean any positive difference calculated between the invoiced amount of all the entities through Unified Tariff and the revenue entitlement by all the entities.

l) "**Surplus Entity**" shall mean the entity which is expected to obtain surplus revenue for transportation of gas by charging Unified tariff, which is more than its entitlement considering approved tariff during the relevant period.

m) "**Transactional Day/T**" shall mean the last day of the invoicing period (fortnightly) for which each of the individual entities invoice the Shipper.

n) "**Working Day**" shall refer to any day other than a Saturday, a Sunday or a day declared as public holiday.

o) All other words and expressions used herein but not defined, and defined in the PNGRB Act, 2006 an extant regulations framed thereunder, have the meanings respectively assigned to them in that Act.

2. SETTLEMENT MECHANISM

2.1. Settlement Committee

In order to facilitate the operation of this settlement mechanism, a Settlement Committee will be formed as set out hereunder:

a) **Constitution of Settlement Committee**

i. The Settlement Committee shall comprise of 5 (five) members from the Industry Committee.

ii. 3 (three) out of the 5 (five) members of Settlement Committee shall be permanent members. ("**Permanent Member(s)**").

iii. The remaining 2 (two) members shall be selected by the entities which are not Permanent Members, to act as the representative of such remaining entities ("**Non-Permanent Member(s)**"). The Non-Permanent Member shall be rotated on an annual basis.

iv. Amongst the Permanent Members, 1 (one) member shall be selected on an annual basis to act as the Lead Member of the Settlement Committee by the Permanent Members. One month prior to completion of tenure of the Lead Member, Permanent Members shall decide the Lead Member for the next year. Tenure of Lead Member shall be from 1st of April to 31st March of the following year, unless extended/ reduced by the Settlement Committee. For the first time Lead Member tenure shall start from the date of approval of this Settlement Mechanism by Board.

v. The representative(s) of Gujarat State Petronet Limited (GSPL), GAIL (India) Limited and Pipeline Infrastructure Limited (PIL) will constitute Permanent Members of the Settlement Committee until substituted/replaced by the Industry Committee and notified accordingly by it to the Board.

vi. The representative of PIL shall be the first Lead Member of the Settlement Committee, and thereafter, any substitution/replacement of the Lead Member shall be informed by the Settlement Committee to Board along with contact details.

b) **Working of Settlement Committee:**

i. The Settlement Committee shall convene meetings on a regular basis and not later than every 15 (fifteen) days.

ii. All the members of the Settlement Committee shall confirm the data relating to UFT /Settlement working amount before submission to Board through the mechanism as decided by Settlement Committee.

iii. The Settlement Committee along with lead member shall be functional till the time TSO/Pool Operator/ Independent entity is appointed by Board/GoI and takes over the responsibilities of the Industry and/or Settlement Committee.

iv. The settlement committee shall maintain records of all the calculations carried out as per the defined settlement mechanism upto a period of 10 years.

2.2. Roles and Responsibility of Lead Member

The role of the Lead Member shall be to:

a) Co-ordinate the Settlement Committee meetings.

b) Communicate and co-ordinate with the Industry Committee and Board with respect to all aspects of the UFT and settlement mechanism.

c) to facilitate and co-ordinate with Board in clarifying/resolving any queries related to UFT.

d) Any other activity decided by the Settlement Committee or Industry Committee.

e) Appointment of an independent auditor of repute which shall audit all the settlement amounts and its working on a quarterly basis. The scope of the auditor shall be jointly finalized by the Settlement committee in consultation with the Industry Committee. The payment to the auditor shall be released by the entity of the lead member and the expenses of auditors shall be equally shared by all the members of an industry committee.

2.3. Scope of Settlement Committee

a) The calculation of unified tariff **("UFT")** by Board shall be facilitated by the Settlement Committee (*defined hereinafter*). Industry Committee shall duly and timely support the Settlement Committee. The members of the Industry Committee shall be as per **Annexure-1**hereto. Any subsequent changes or addition of new members to the Industry Committee shall be notified by the Board subsequently. Each member of the Industry committee/Settlement Committee shall be represented by its main and alternate representative at all the times. The Industry committee member entities shall notify the changes related to main and alternative representatives to the Board in advance and shall ensure an overlapping time period of 5 working days where both the outgoing and incoming representatives shall be present.

b) The Settlement Committee shall facilitate the Board in providing all the required support documentation/information including, *inter alia*, anticipated zonal volumes for Pipeline entities after due reconciliation with each Pipeline entity for the common volumes for the UFT determination by the Board. The Settlement Committee shall ensure that any support documentation/information required by Board is provided on a timely basis.

c) The Settlement Committee shall undertake periodic reconciliation of actual data submitted by entities to work out the settlement amount and its adjustment with relevant entities.

2.4. Data for Volume Estimates

The forecasted data for estimated/anticipated volumes, calorific values, zonal distances across entities shall be provided on annual basis to Board for determination of UFT, unless as may be required by Board which could be due to several reasons including, inter alia, change of the pipelines which forms part of the NGGS, major changes in volumes forecasts, etc.

The data shall be duly reconciled by the Industry Committee including common volumes prior to such data being shared with the Board. TheUFT shall be determined and approved by Board as per the provisions of PNGRB (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008 and any amendments from time to time.

Without prejudice to the above, the entities shall provide the forecasted data for the following financial year with Board by the first week of January of every year. The forecasted data shall be shared as per the format provided in **Annexure-2** or such other format as may be required by Board for determination of UFT. As the UFT system matures, the Industry Committee may look into reducing the duration of the volumes estimations from annual to half-yearly and so on to arrive at a more accurate Unified Tariff calculations.

2.5. Computation of UFT Ratio for Invoicing (UFT Ratio)

The Board would share the required UFT working with Settlement Committee based on the forecasted data as mentioned in paragraph 3.3 for UFT Ratio working by 31st January of every year. The Settlement Committee shall calculate the UFT ratio and the likely Surplus Entity and Deficit Entity, for each of the natural gas pipelines forming part of NGGS, which shall be used for the purpose of determining share of UFT for invoicing of Common Volumes to the Shippers by respective entities. In case of Single Entity Volumes, the concerned entity will invoice at 100% of UFT. The Settlement Committee shall provide UFT ratios along with details of likely Surplus and Deficit entity to the Board by 15th February every year.

The UFT and UFT ratios applicable for the subsequent financial year shall be approved by the Board and hosted on its website by the first week of March of every year. For the UFT applicable w.e.f. from 1st April 2023, the UFT calculations shall be performed through suitable IT model/or any other mode as decided by Settlement Committee and subsequently based on the experience of Industry committee, an improved IT tool shall be developed and used for arriving at the final UFT.

The objective of the UFT ratios for invoicing Common Volume shall be to primarily reduce the amount of settlement among the Surplus Entities and Deficit Entities, for achieving the overall estimated revenue entitlement by each individual entity. For the same purpose, entities shall be required to timely share the data of information for estimated volumes (only estimated zonal volumes needs to be shared and individual contract wise data is not required to be shared) and approved tariff with the Settlement Committee as per the prescribed format. Any amendment in the format in which the information shall be shared by the entities be approved by the Settlement committee based on expereince gained for smooth and timely flow of information. The UFT ratios shall be finalized by the Settlement Committee by following below mentioned principles and basis in order to optimise the settlement amount and process:

a) Surplus Entities shall invoice the minimum of the agreed ratios so as to generate lesser surplus. In case of more than two entities, the entity with a higher estimated surplus shall utilize the minimum of the agreed ratios.

b) In case of two entities, the entity which is likely to meet its estimated revenue entitlement shallinvoice at an adjusted ratio which shall besufficient to invoice any amount equal to its estimated revenue entitlement.

c) Similarly,in case of three entities, the Surplus Entity shall invoice at a minimum agreed ratio with the remaining two entities attempting to limit the ratio to the extent of estimated revenue entitlement of the Surplus Entity.

d) In case of two Surplus Entities, the entity with the lower estimated revenue entitlement shall be allowed to invoice at minimum agreed percentage.

e) A Minimum agreed percentage shall be invoiced by each of the individual entities related to a contractual path. Purpose to keep minimum percentage for invoicing is to reduce the settlement amount to minimum possible and at the same time each Pipeline entity can maintain the direct contractual relationship with the shipper.

f) Such other aspects as may be necessary considering settlement issues in consultation with the Industry Committee.

g) The ratios so determined shall be submitted to the Board for its approval, as per the timeline mentioned above.

To implement this settlement mechanism, all the Pipeline entities shall mutually and timely develop and enter into a contract/agreement among themselves by the representatives of the Industry committee in accordance with the provisions of this settlement mechanism. Provided that upon any new member joining the Industry Committee shall also sign such contract/agreement.

2.6. **Invoicing**

Each of the entity shall generate the invoice based on following principles:

a) **Invoicing Quantity** – Invoicing quantity shall be measured at the exit point of respective entity networksas per the respective contracts/agreements between Pipeline entities and Shippers.

b) **Tariff** – The Shipper(s) in total shall only be charged a Zonal UFT as applicable.The individual entities shall generate an invoice at the applicable Zonal UFT for Single Volume. For Common Volume the shippers shall be charged applicable Zonal UFT as per the ratios finalized by the Settlement Committee and approved by the Board provided that sum total of tariff charged as per the pre-determined ratio shall be equal to applicable Zonal unified tariff.

c) Each of the entities involved in the unified contractual path of the Shipper(s) shall invoice the Shipper(s) as per the predetermined ratio calculated by the Settlement Committee and approved by the Board.

d) For the purpose of booking of capacity for allocation of APM/Non-APM domestic gas to CGD entities in accordance with the guidelines issued by MoP&NG from time to time, entity(ies) will have flexibility to change the quantity and exit point.

2.7. Sharing of Data

Post invoicing, the data pertaining to the respective entity pipeline forming part of NGGS shall be shared with the Settlement Committee on a fortnightly basis. Entities shall be required to submit the actual data on or before T+5 Working Days to the Settlement Committee. The data shall be shared as per the format provided in **Annexure-3** or such other format as may be mutually agreed by the Settlement Committee.

2.8. Calculation of Settlement Amount

Based on the data shared by the entities as referred in paragraph 3.6 above, the Settlement Committee shall complete the reconciliation and convey to Industry Committee within one Working Day i.e. by T+6 Working Days, for settlement amount processing. Surplus Entities shall complete the payment within two Working Days from the date of receipt of settlement invoice from Deficit Entities.

a) The Settlement Committee shall reconcile the data submitted by individual entities and in case of any delay in submission of data by any entity, the data submitted by such delaying entity in previous fortnight shall be considered on a provisional basis and necessary adjustment shall be made in the following fortnight. All the entities shall provide necessary support / additional information required for timely reconciliation of data.

b) The methodology to calculate the settlement amount shall be as follows:

i. Settlement amount for any individual entity shall be equal to [the sum of the total amount invoiced to the Shippers basis the applicable Zonal UFT ratio minus (-) the revenue entitlement on the basis of Approved tariffs as applicable for the respective pipelines forming part of the NGGS].

ii. The entities with positive settlement amount (Surplus Entities) shall be invoiced by the entities with negative settlement amount (Deficit Entities).

iii. Settlement committee shall provide the details about the Surplus Entities and Deficit Entities and who will adjust with whom along with the amount while conveying the details about the settlement amount processing to Industry Committee.

c) In case of delay in payment by the Surplus Entity, an interest at the rate of State Bank of India's Base Rate (SBIBR) as applicable on the date of payment plus 6.25 % per annum shall be applicable on the delayed amount.

d) In case there is a delay beyond 2 Working days, as provided above, in payment by the Surplus Entity, the Deficit Entity shall be compensated for the same on 3rd Working day, from the date of receipt of settlement invoice, from the Surplus Amount including interest and such Surplus Entity shall deposit the invoiced amount plus applicable interest accrued till the date of deposit to the relevant account of the Surplus Amount. In case there is no Surplus Amount, then payable amount along with the interest shall be adjusted in the following fortnight's settlement from the revenue entitlement of such Surplus Entity which has not paid the amount.

e) For the first four months from the date of implementation of this settlement mechanism there shall be no penal charges/interest for delay in payments, in the event such delay has been caused due to reasons beyond the Surplus Entity's control and in the event the Surplus Entity has made timely payment of the amount received over and above its revenue entitlement, excluding any defaulting Shipper payment.

f) Post the period of the first four months, any delays or defaults by the Shipper, the Settlement Committee shall initiate discussions in good faith in order to arrive at an amicable solution for cases of non-payment by the Surplus Entity due to non-payment of dues under the GTAs by the Shipper(s) or delay in payment by the Shipper(s) where neither payment security mechanism can be invoked nor can the gas transmission be stopped.

g) In case of non-receipt of payment from the Shipper due to any stay order from any court and/or exhaustion of all the payment security instruments under the contract with such Shipper, then to that extent the Surplus Entit(ies) shall not be required to make payment to the Deficit Entit(ies). The Deficit Entit(ies) shall receive such payment from Surplus Amount. In case there is no balance in the Surplus Amount, then the shortfall amount shall be shared by all the pipeline entities forming part of the NGGS, in proportion to the revenue entitlement by making necessary adjustment in the following fortnight settlement working and the same shall be made good after the amount has been received from such customer, or in the following fortnight, or through adjustment in next UFT review, whichever is earlier. Further, for such a specific customer, the revenues and volumes from that customer shall not be considered for revenue entitlement from the following fortnight settlement workings and UFT determination at the time of next UFT review. Any amount received from such customer after the stay is vacated the same shall be considered as a part of the settlement mechanism.

h) Based on the settlement data of first month, the Settlement Committee shall identify the surplus and deficit entity(ies) for the following quarter. The surplus entity(ies) shall furnish the payment security to the deficit entity(ies). In this regard Settlement committee shall formulate a payment security mechanism during the first month. Further, Settlement Committee shall also review the data sharing, payment timelines and payment security mechanism once the software is developed/ IT system is in place.

2.9. **Dispute Resolution Mechanism**:

a) Initially the dispute shall be attempted to be resolved mutually among the entities involved in the dispute. In case of failure to resolve, the Settlement Committee shall be approached by the affected entity(s) for resolution of the dispute.

b) The dispute/issue shall be discussed in a joint meeting held between Settlement Committee and the concerned entities for timely resolution.

c) In the event parties fail to resolve their settlement dispute through above mechanism, such disputes may be referred to the Board for final decision.

2.10. Surplus Amount Management

a) In case of surplus revenue collection within a fortnight, post payment to Deficit Entities,such Surplus Amount shall be identified by the Settlement Committee and the same shall be acknowledged by the relevant entity.

b) This Surplus Amount at the end of the month shall be invested in a callable fixed deposit (FD) by the respective entities with at-least having a long term credit rating of AA+ from at least two credit rating agencies registered with SEBI, provided that the surplus amount with the entity is minimum Rupees Ten Lakh.

c) The FD amount along with the interest accrued after deduction of applicable tax on the interest income and any other expenses, as agreed by Settlement Committee, incurred for management over the year shall be used for settlements throughout the year or for subsequent UFT adjustments.

d) The process of withdrawal mechanism from the Surplus Amount shall be as follows:

i. The Settlement Committee shall internally calculate and discuss the deductions applicable, and the available Surplus Amount accrued in each of the committee meetings.

ii. From time to time, the Settlement Committee shall deliberate on the usage of Surplus Amount either for settlement or as carryforward for subsequent UFT adjustments.

e) Based on the first four months of experience, the Settlement Committee shall decide the threshold funds with the approval of the Board to be maintained for the unforeseen circumstances of shortfall in the UFT collection.

f) In case of Deficit Amount, the Settlement Committee shall discuss the mechanism to make good such Deficit Amount till such Deficit Amount is made good on. The Industry Committee shall share the deficit amount in proportion to their revenue entitlement.

2.11. Imbalance Charges

a) Imbalance quantity shall be worked out by the entities as per the relevant regulation for their respective networks as per their contracts with the Shippers.

b) The imbalance charges shall be at the applicable invoicing ratio of UFT for each of the individual entities in the contractual path.

2.12. Miscellaneous

a) In case of revised invoices to Shippers, the same shall be settled in the next billing/payment cycle.

b) Bad debts shall be dealt in respective Gas Transmission Agreements (GTAs) and the same shall not impact settlement amount and payment timelines except as provided in paragraph 3.7 above.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./726/2022-23]

ANNEXURE 1

MEMBERS OF INDUSTRY COMMITTEE

GAIL (India) Limited
Pipeline Infrastructure Limited
Oil and Natural Gas Corporation Limited
Reliance Gas Pipeline Limited
Indian Oil Corporation Limited
Gujarat State Petronet Limited
Gujarat Gas Limited
GSPL India Gasnet Limited
GSPL India Transco Limited

ANNEXURE 2

FORMAT FOR SHARING FORECASTED DATA

	Entry		Exit									
Entity	Supply Point	Input Interconnection Point with other entity	Evacuation Point	Output Interconnection Point with other entity	Unified Tariff Path	Volume (MMSCMD)	Gross Calorific Value (MMBTU)	Distance (Kms)#	Input Interconnection Point entity	Output Interconnection Point entity	Tariff *(INR/ MMBTU)	Common Volume/ **Single Entity** Volume

*Note – Entities only to share respective approved zonal tariff

ANNEXURE 3

FORMAT FOR SUBMISSION OF ACTUAL FORTNIGHTLY PIPELINE WISE DATA

Name of Pipeline ---------- Fortnight & Month----------

Zone	Approved Tariff (a) (INR/ MMBTU)	Actual Quantity of Gas Transported (MMBTU GCV) (b)	Ship or Pay Quantity (MMBTU GCV) (c)	Total Quantity (MMBTU) (d) = (b) + (c)	Entitled Revenue (e) = (d) * (a) (INR)
Zone 1					
Zone 2					
Zone n					

Zone	Invoiced Unified Tariff /Part Unified Tariff (f) (INR/MMBTU)	Actual Quantity of Gas Transported (MMBTU GCV) (g)	Ship or Pay Quantity (MMBTU GCV) (h)	Total Quantity (MMBTU) (i) = (b) + (c)	Invoiced amount (j) = (i) * (f) (INR)
Unified Tariff Path 1					
Unified Tariff Path 2					
Unified Tariff Path n					

”

Foot Note: Principal regulation were published in the Gazette of India (Extraordinary) under No. G.S.R.807(E), dated the 20th November, 2008 and amended *vide* G.S.R. 986(E), dated 20th December, 2010 and, F. No. PNGRB/M(C)/11/Final Tariff Filing, dated 30th May, 2012 and, PS/Secy./M(C)/2012, dated 13th September, 2012. and, F. No. PNGRB/M(C)/48, dated 17th February, 2014 and, F. No. PNGRB/M(C)/100, dated 27th February, 2014 and, F. No. L-MISC/VI/I/20017, dated 01st January, 2015 and, PNGRB/M(C)/110, dated 08th January, 2016, PNGRB/COM/2-NGPL Tariff (3)/2019, dated 27th May, 2019, and F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2019 Vol-II, dated 27th March, 2020 and F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2014 Vol-IV(Part-1) (P-1439) dated 23rd November, 2020, F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2014 Vol-IV(Part-1) (P-1439) dated 23rd November, 2020, F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3) /2019 Vol-IV (P-4121) dated 17th November, 2022 and F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3) /2019 Vol-IV (P-4121) dated 18th November, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.